07/08/24 – पत्रावली पेश हुई। तामील पत्र उपस्थित
अप्रार्थी नं. 6 बावजूद सूचना उपस्थित
नहीं। अतः अप्रार्थी नंबर 6 के विरुद्ध
एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते
है। अप्रार्थी नं. 1 एवं 2 की ओर
~~विरुद्ध~~ से वकालत प्रार्थना पत्र पेश किया प्रति
प्रार्थी वकील को दी गयी। पत्रावली वास्ते
बहस आदेश। दिनांक 21/08/2024 को पेश हो।

Rayendra

21.08.24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०।
अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों
को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण हाजा
में अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार
हैं तथा प्रार्थी की भूमि से सर्वथा पृथक रकबे में
भूमि धारण करते हैं अतः उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा
से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है।
वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को
दोहराते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला
कायम करने का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष
सुनी गयी। बाद बहस खातेदारी भूमि के सम्बन्ध
में खातेदारों को किसी अन्य प्रार्थी के प्रार्थना पत्र
के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द
किया जाना न्यायोचित नहीं है अतः प्रकरण में
जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को प्रत्याहारित किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से
कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Rayendra
उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर